



राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

An ISO 9001:2008 Certified Agency



शशि भूषण कुमार, भा०प्र०से०
सचिव, स्वास्थ्य –सह-
कार्यपालक निदेशक

आदेश सं०: SHSB/GA/HR/2097/2016/.....
दिनांक :/07/2017

—: आदेश :—

राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के विज्ञापन सं० 07/16 {पी०आर०सं० 4938 (नि.नि.)16-17} के आलोक में आदेश ज्ञापांक 5987 दिनांक 15.12.2016 एवं आदेश ज्ञापांक 8240 दिनांक 23.03.2017 के तहत नियोजित अभ्यर्थियों के द्वारा निर्धारित अवधि तक योगदान नहीं करने के कारण बची हुई रिक्ति के विरुद्ध राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने हेतु राज्य के सदर अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सकों—**Ophthalmologist** के संविदागत पद पर चयनित अधोलिखित अभ्यर्थियों को, उनके द्वारा योगदान करने की तिथि से स्तम्भ-9 में अंकित मानदेय पर नियोजित करते हुए उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-8 में अंकित जिला के सदर अस्पताल में पदस्थापित किया जाता है:—

क्र. सं.	पंजीयन संख्या	अभ्यर्थी का नाम	जन्म तिथि	पता	कोटि	गृह जिला	पदस्थापित जिला	मानदेय/प्रतिमाह (₹ में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	2405045	Dr Nitish Kumar, MD	01.01.1977	Vill+PO- Belaw, PS-Barbigha, Sheikhpura-811101	UR	Sheikhpura	Nalanda	1,00,000/-
2.	2405003	Dr Rubina Huda, MS	24.09.1978	Dr. Khalda Huda, Huda Maternity and Dental Clinic, Arya Kumar Road, Rajendra Nagar, Patna-16	UR	Patna	Muzaffarpur	1,00,000/-
3.	2405047	Dr Manoj Kumar Singh, MS	05.05.1975	N-8/179C-1, M3-N Newada Lanka, Varanasi, Uttar Pradesh	UR	Varanasi (UP)	Sasaram (Rohtas)	1,00,000/-
4.	2405023	Dr Rajeev Ranjan, MS	20.06.1978	C/o- Raj Kishore Sahu, Retd-Superintending Engineer, Bariyarpur, Sitamarhi-843302	UR	Sitamarhi	Gaya	1,00,000/-
5.	2405009	Dr Nikhileshwar Dayal Sahu, MS	30.11.1976	Karai Parsurai, Nalanda-801304	UR	Nalanda	Samastipur	1,00,000/-
6.	2405010	Dr Kundan Kumar Singh, MS	30.06.1982	Vill-Lohakhara, PO-Dharamparsa, Gopalganj -841427	UR	Gopalganj	Gopalganj	1,00,000/-
7.	2405030	Dr Anant Shankar, MS	16.02.1982	C/o- Arun Kumar Singh, Ward No.9, Mansurchak, Purani Bazar, Lakhisarai-811311	UR	Lakhisarai	Jamui	1,00,000/-
8.	2405019	Dr Kanishak Singh, MS	05.02.1983	Plastic Surgery Centre, East Boring Canal Road, Patna-01	UR	Patna	Saran	1,00,000/-
9.	2405041	Dr Vidya Bhushan Kumar, PGDO	17.02.1981	Vill-Aurani, PO-Virnama, Nawada-805124	BC	Nawada	Nawada	90,000/-

2. उपर्युक्त सभी नवचयनित अभ्यर्थियों को निदेश दिया जाता है कि:—

- दिनांक 10.08.2017 तक उपरोक्त स्तंभ-8 में अपने नाम के सामने अंकित जिला के सदर अस्पताल में अपना योगदान देना सुनिश्चित करें। उक्त तिथि तक योगदान नहीं देने की स्थिति में अभ्यर्थियों का नियोजन स्वतः समाप्त समझा जाएगा।
- योगदान के पश्चात् सभी नवचयनित अभ्यर्थी एकरारनामा करने के लिए, स्टाम्प पेपर, NOC (यदि लागू हो, तो) एवं स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र (जो सिविल सर्जन/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के स्तर से निर्गत हो) के साथ, स्वयं दिनांक 14.08.2017 तक, प्रभारी, मानव संसाधन, राज्य स्वास्थ्य





राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार



An ISO 9001:2008 Certified Agency

समिति, बिहार, पटना के समक्ष उपस्थित होंगे, ताकि राज्य स्तर पर राज्य स्वास्थ्य समिति के साथ उनका एकरारनामा सम्पन्न हो सके।

- iii. नियोजन की तिथि से एक (01) माह के अंदर MD/DNB उपाधि का Bihar Medical Council में निबंधन कराकर निबंधन प्रमाण-पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति मानव संसाधन कोषांग को समर्पित करें एवं मूल निबंधन प्रमाण-पत्र दिखावें अन्यथा उनका नियोजन रद्द कर दिया जायेगा।
- iv. यदि किसी संस्थान में कार्यरत हैं अथवा सरकारी सेवा में हैं अथवा अनुबंध पर कार्यरत हैं, तो उन्हें अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) जमा करना अनिवार्य है। अन्यथा उनका नियोजन का दावा रद्द कर दिया जाएगा।
- v. यह नियोजन पूर्णतः संविदा के आधार पर 11 (ग्यारह) माह के लिए किया जायगा, जिसमें प्रारंभ से 6 (छः) माह परीक्षा (Probation) अवधि होगी। नवनियोजित अभ्यर्थियों के संतोषप्रद कार्य, पदों की आवश्यकता एवं राशि की उपलब्धता के आधार पर संविदा अवधि का विस्तार राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के स्तर से किया जा सकेगा।
- vi. चयनित अभ्यर्थियों का नियमितीकरण अथवा पुनर्नियोजन हेतु कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।
- vii. आवंटित जिला में योगदान करने एवं प्रभार ग्रहण करने के लिए यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- viii. सभी संबंधित नवचयनित अभ्यर्थियों के पूर्ववृत्त एवं शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्रों का सत्यापन करवाया जाना आवश्यक है। यह संविदागत नियोजन उक्त सत्यापन/जाँच प्रतिवेदन के फलाफल से प्रभावित होगा।
- ix. उक्त विशेषज्ञ चिकित्सकों का नियोजन इस शर्त पर किया जाता है कि यदि उनके पूर्ववृत्त का सत्यापन प्रतिवेदन प्रतिकूल होगा तथा प्रमाण-पत्रों एवं अभिलेखों के जाँच के क्रम में गलत सूचना पायी जायगी, तो उनका नियोजन बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दिया जायगा एवं उनके विरुद्ध आवश्यक विधि सम्मत कार्रवाई भी की जाएगी।
- x. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधीन Ophthalmologist के संविदागत पद हेतु सभी नवनियोजित अभ्यर्थियों को उपरोक्त तालिका के स्तम्भ 9 में अंकित एक मुस्त मानदेय प्रतिमाह का भुगतान जिला स्तर से किया जाएगा।

3. सभी सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव नवचयनित अभ्यर्थियों के योगदान के तुरंत बाद, सदर अस्पताल में रोस्टर ड्यूटी में नाम शामिल कराते हुए रोस्टर ड्यूटी के अनुरूप उनसे कार्य लेना प्रारंभ करें, ताकि जनहित में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करायी जा सके। उक्त अनुपालन की सूचना अचूक रूप से मानव संसाधन कोषांग के E-Mail ID: shsbhrcell@gmail.com पर भेजना सुनिश्चित करेंगे।

ह०/-

(शशि भूषण कुमार)

ज्ञापांक : SHSB/GA/HR/2097/2016/..... 2107 पटना, दिनांक: 20/07/2017

प्रतिलिपि: प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार को कृपया सूचनार्थ।

प्रतिलिपि: सभी संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी/क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार/सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: अपर निदेशक-वित्त/वित्त प्रबंधक/राज्य कार्यक्रम प्रबंधक-NHM/राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी-MH, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।





राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार



An ISO 9001:2008 Certified Agency

प्रतिलिपि: सिस्टम एनालिस्ट-सह-डाटा ऑफिसर, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं समिति के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: सभी संबंधित नवचयनित अभ्यर्थियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। यह आदेश राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के अधिकृत वेबसाईट www.statehealthsocietybihar.org पर भी देखा जा सकता है एवं डाउनलोड कर इसे व्यवहार में लाया जा सकता है।

14.7.2017

सचिव, स्वास्थ्य
-सह-
कार्यपालक निदेशक

